संख्या- 107/2024/2027/छप्पन-2024-56-1002-001-1-2023

प्रेषक,

अभिनव कुमार चौरसिया,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन विभाग लखनऊ: दिनांक 31 दिसम्बर, 2024

विषयः वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु अनुदान संख्या-38 के अधीन अनुपूरक मांग के माध्यम से व्यवस्थित अनुदान की धनराशि का प्रदेशन (एलाटमेंट)।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-296/ना0उ0नि0/लेखा/2024 दिनांक 20 दिसम्बर, 2024 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिए अनुदान संख्या-38 के अन्तर्गत अनुपूरक मांग के माध्यम से प्राविधानित बजट की राजस्व मदों को निदेशक, नागरिक उड्डयन के निर्वतन पर रखे जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में नागरिक उड्डयन की अनुदान संख्या-38 के आय-व्ययक में अनुपूरक मांग के माध्यम से नागरिक उड्डयन विभाग की अनुदान संख्या-38 के राजस्व पक्ष के अन्तर्गत लेखाशीर्ष राजस्व लेखाशीर्षक 3053-नागर विमानन-02-विमानपत्तन-102-हवाई अड्डा-03-हवाई पट्टियों का अनुरक्षण हेतु प्राविधानित धनराशि 1,01,90,000/- (रूपये एक करोड़ एक लाख नब्बे हजार मात्र) की धनराशि के व्यय हेतु निम्नलिखित विवरण के अनुसार कतिपय शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

राजस्व लेखाशीर्षक 3053-नागर विमानन-02-विमानपत्तन-102-हवाई अड्डा-03-हवाई पट्टियों का अनुरक्षण

लेखाशीर्षक मानक मद संख्या तथा नाम	प्राविधानित धनराशि	स्वीकृत धनराशि
राजस्व लेखाशीर्षक 3053-नागर विमानन-02-विमानपत्तन-102-हवाई अड्डा-03-हवाई पट्टियों का अनुरक्षण		
01- वेतन	62.95	62.95
03- मंहगाई भत्ता	35.00	35.00
06- अन्य भत्ते	0.40	0.40
49- चिकित्सा व्यय	0.75	0.75
55- मकान किराया भत्ता	2.80	2.80
योग	101.90	101.90

3- वित (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक 04 मार्च, 2024 में निहित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

2/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4- इसके अतिरिक्त मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक दिनांक 04 मार्च, 2024 के प्रस्तर-3 में यह निर्देश है कि धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियन्त्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्रधिकार नहीं देता है | जिन मामलो में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति, विभागाध्यक्ष/नियन्त्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर जी जाये, से सम्बन्धित निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

5- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
अभिनव कुमार चौरसिया
अनु सचिव

पृ0 संख्या: 107/2024/2027(1)/छप्पन-2024 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) उप महालेखाकार/ई0एस0-III, आडिट भवन,टीसी-35-वी ।, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
(3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(4) वित्त (व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-7.
(5) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2.
(6) नियोजन अनुभाग-4.
(7) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अभिनव कुमार चौरसिया
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in